रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 6, 1987/पौष 16, 1908
No. 10] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 6, 1987/PAUSA 16, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 1987

अधिसूचना

स 7–सीमाशुल्क/87

सा. का. नि. 13 (अ):– केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा ( ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक

है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग की अधिसूचना स. 13/81–सीमाशुल्क, तारीख 9 फरवरी, 1981 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

उक्त अधिसूचना के प्रारंभिक पैरा में, शर्त 6 के दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"परन्तु यह और भी कि सिलेसिलाए वस्त्रों के विनिर्माण के दौरान निकलने वाले चिथड़े, समावर्तन और दरजी कर्तन को, जब उनको ऐसे शतप्रतिशत निर्माणोन्मुख उपक्रमों से निकासी की जाए, तब ऐसे चिथड़ों, कतरनों और दरजी कर्तनों पर उद्ग्रहणीय शुल्क के सदाय से छूट दी जाएगी, परन्तु यह तब जब चिथड़े, समाकर्तन और दरजी कर्तन के रूप में अपशिष्ट की प्रतिशतता, उक्त बोर्ड द्वारा इस संबंध में नियत प्रतिशतता से अधिक न हो।"

[सं. 7–सीमाशुल्क/87–एफ सं. 305/144/86–एफटीटी]

संदीप जोशी, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 6th January, 1987

## NOTIFICATION

No. 7-CUSTOMS|87

G.S.R. 13(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue, No. 13|81-Customs, dated the 9th February, 1981, namely :—

In the said notification in the opening paragraph, in condition (6), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely :—

"Provided also that rags, trimmings and tailor cuttings arising in the course of manufacture of readymade gar-

ments, when cleared from such hundred per cent export oriented undertakings, shall be exempt from payment of duty leviable on such rags, trimmings and tailor cuttings provided that the percentage of waste material in the form of rags, trimmings and tailor cuttings does not exceed the percentage fixed in this regard by the said Board."

[No. 7-Customs|87-F. No. 305|144|86-FTT]

SANDEEP JOSHI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RNIG ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987